

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

I. बैंकों से संबंधित

- 1 वे सभी बैंक जिनको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, उन्हें अनुसूचित बैंक के रूप में जाना जाता है। इन बैंकों में अनुसूचित वाणिज्य बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक शामिल हैं।
- 2 भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उनके स्वामित्व और/ अथवा परिचालन के अनुसार पांच समूह हैं। ये बैंक समूह 1 भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी 2. राष्ट्रीयकृत बैंक 3. निजी क्षेत्र के बैंक 4 विदेशी बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंक समूह वार वर्गीकरण, आइडीबीआई बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल किया गया है।
- 3 अनुसूचित सहकारी बैंकों में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक समाविष्ट हैं।
- 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित सहकारी बैंकों को बैंक समूह स्तर पर उनके बैंक वार सारणियों और उनके समरी सारणियों में से हटा दिया है। जब कि समूहों के रूप में जिस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक सारणी 2.1 और 2.2 में दर्शाये हैं।
- 5 वित्तीय वर्ष 2011 - 2012 में, वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन हुए;
 - i) अप्रैल 02, 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक (क्रेडिट सुइसे) शामिल थी।
 - ii) अप्रैल 02, 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक (स्वेअर बैंक) शामिल थी।
 - iii) जुलाई 09, 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक आस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह शामिल थी।
 - iv) जुलाई 30, 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक रोबोबैंक शामिल थी।
 - v) फरवरी 03, 2012 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक आफ चायना शामिल थी।
 - vi) फरवरी 04, 2012 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक शामिल थी।
 - vii) फरवरी 04, 2012 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक वूरी बैंक शामिल थी।
 - viii) जुलाई 28, 2011 से एसबीआई कमर्शियल एंड इंटर नेशनल बैंक का स्टेट बैंक आफ इंडिया में विलयन हो गया था।

ये परिवर्तन सारणियों में प्रदर्शित हैं जिसमें वैयक्तिक बैंकों के आंकड़े प्रस्तुत किये

6. इस खंड में प्रदर्शित बैंक केंद्रों जन समूह 2001 की जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या समूह की निम्नानुसार व्याख्या की है;

जनसंख्या	जनसंख्या समूह
0 -10,000	ग्रामीण
10,000- 1,00,000	अर्ध -शहरी
1,00,0000 - 10,00,000	शहरी
10,00,000 और अधिक	महानगरीय

II संबंधित - सारणी

सारणियां 6.1 से 6.6 - प्राथमिक क्षेत्र के कुछ उप प्रमुखों के लिये अलग डाटा देने के अलावा, समायोजित निवल बैंक अथवा ऋण अथवा आफ बेलेंस शीट एक्सपोजर, जो भी अधिक हो के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों को प्रदर्शित किया है।

सारणियां 2.1 और 2.2

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 42(2) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको द्वारा भारत में उनके कारोबार से संबंधित प्रस्तुत किये गये पाक्षिक " फार्म ए विवरणियों से डाटा का समेकन करते हैं। आंतर बैंक जमा राशियां/ 15 दिनों के परिपक्वतावाली आस्तियां और उससे अधिक और 1 वर्ष तक को शामिल नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के पास शेष राशियों का डाटा को सरकारी बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकलाप के साप्ताहिक विवरणियों से प्राप्त करते हैं।

सारणियां 2.3, 2.4, 2.5 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 – सारणी 2.3, 2.4 2.5 और, 4.1 में दिये जानेवाले जमा राशियों के आंकड़ों में आंतर बैंकीय जमा राशियां शामिल नहीं हैं। अतः सारणी 3.1 रिपोर्ट की गयी जमा राशियों का कवरेज अलग है। सारणियां 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 5.1, 5.2 और 5.3 में सावधि ऋण, नगदी जमा, ओवरड्रफ्ट और खरीदे गये और भुनाये गये बिल इसके अलावा, सारणियां 5.1, 5.2, 5.3 में बैंक जमा से संबंधित आंकड़ों में बैंकों से देय राशियां भी शामिल हैं।

सारणियां 2.6 और बी12 – अनुसूचित वाणिज्य बैंको के चयनित वित्तीय अनुपात (आर आर बी को छोड़कर) 31 मार्च 2011 और 2012 को समाप्त से संबंधित बैंकों के प्रकाशित वार्षिक खातों से प्राप्त / परिकलन किये गये हैं। अनुपात 21 और 30 से 35 अर्थात् "आस्तियों से संबंधित विवरणी प्रति कर्मचारी (जमा राशि और अग्रिम) कारोबार प्रति कर्मचारी लाभ पूंजी पर्याप्तता अनुपात = टीयर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात = टीयर 11 निवल अग्रिमों के निवल अनर्जक संपत्तियों का अनुपात को वैयक्तिक बैंकों के प्रकाशित वार्षिक खाते से ' नोट्स ओन अकाउंट से प्राप्त करते हैं। वे बैंक समूह स्तर पर संकलित नहीं हैं।

1. निम्नलिखित संकल्पनाओं को प्रयोग में लाते हुए अन्य अनुपातों की गणना की गयी ;
 - (i) नकद-जमा अनुपात में नकद में नकद शेष और रिजर्व बैंक के पास शेष जमा राशियां हैं ।
 - (ii) निवेश-जमा अनुपात में निवेश कुल निवेश दर्शाता है। उसमें
 - (iii) निवल ब्याज मार्जिन की व्याख्या प्राप्त किये गये कुल ब्याज को भुगतान किये गये कुल ब्याज से घटाना है।
 - (iv) मध्यस्थता लागत की व्याख्या कुल परिचालनात्मक व्यय है ।
 - (v) वेतन बिल की व्याख्या कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान है ।
 - (vi) परिचालनात्मक लाभ की व्याख्या कुल आय से कुल व्यय घटाना, प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं को छोड़कर ।
 - (vii) भार की व्याख्या है कुल गैर ब्याज आय से कुल गैर ब्याज व्यय घटाना ।
2. मदे जैसे कि पूंजी, रिजर्व पूंजीयां, जमा राशियां, उधार अग्रिम, निवेश और आस्तियां/ देयताओं का दो संबंधित वर्षों के लिये विविध वित्तीय आय/ व्यय का अनुपात का औसत निकालने के लिये उपयोग होता है ।
3. अनुपातों की व्याख्या निम्नानुसार है;
 - (i) नगद -जमा राशि अनुपात = (हाथों में नगद + भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि) / जमा राशियां
 - (ii) कुल अग्रिमों में से जमानती अग्रिमों का अनुपात = (मूल आस्तियों द्वारा जमानती अग्रिम + बैंक द्वारा कवर किये गये अग्रिम अथवा सरकारी गारंटियां)/ अग्रिम
 - (iii) कुल आस्तियों के व्याज आय का अनुपात = अर्जित ब्याज / कुल आस्तियां

- (iv) कुल आस्तियों के निवल ब्याज मार्जिन का अनुपात = (अर्जित ब्याज/प्रदत्त ब्याज)/कुल आस्तियां
- (v) कुल आस्तियों के गैर ब्याज आय का अनुपात= अन्य आय /कुल आस्तियां
- (vi) कुल आस्तियों के मध्यस्थता का अनुपात = परिचालित व्यय / कुल आस्तियां
- (vii) मध्यस्थता लागतों के वेतन बिल का अनुपात(परिचालित व्यय) = पी पी ई / परिचालित व्यय
- (viii) कुल व्ययों के वेतन बिल का अनुपात = पी पी ई /कुल व्यय
- (ix) कुल आय के वेतन बिल का अनुपात= पी पी ई /कुल आय
- (x) कुल आस्तियों के भार का अनुपात = (परिचालित व्यय- अन्य आय)/ कुल आस्तियां
- (xi) ब्याज आय के भार का अनुपात =(परिचालित व्यय- अन्य आय)/ ब्याज आय
- (xii) कुल आस्तियों के परिचालित लाभ का अनुपात = परिचालित लाभ /कुल आस्तियां
- (xiii) प्रातिनिधिक बैंक समूह में सभी बैंकों, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में बैंक की कुल आस्तियों का समानुपात भार होने कारण,समूह में वैयक्तिक बैंकों के(सारणी बी 12से) आस्तियों की विवरणी को भारत औसत (सारणी 2.6 के लिये) के रूप में प्राप्त किया है,
- (xiv) ईक्विटी की विवरणी =निवल लाभ/(पूंजी+रिजर्व और अधिशेष)
- (xv) जमाराशियों की लागत = आइपीडी/ जमाराशियां
- (xvi) उधार की लागत = आईपीबी / उधार
- (xvii) निधियों की लागत = (आईपीडी/आईपीबी) / (जमाराशियां + उधार)
- (xviii) अग्रिमों के लिये विवरणी = आईए / अग्रिम
- (xix) निवेशों के लिये विवरणी =आईआई / निवेश
- (xx) निधियों की लागत में समायोजित अग्रिमों के लिये विवरणी = अग्रिमों के लिये विवरणी – निधियों की लागत
- (xi) निधियों की लागत में समायोजित निधियों के लिये विवरणी = निवेशों के लिये विवरणी – निधियों की लागत

जहां उचित हो, रेशियो में डिनोमिनेटर्स औसत का उपयोग चालू वर्ष” और पूर्ववर्ती वर्ष उदाहरण के तौरपर 2011 - 12 के लिये कुल आस्तियों के निवल ब्याज मार्जिन का रेशो का उपयोग डिनोमिनेटर के रूप में वर्ष 2010 – 2011 और 2011 - 12 के लिये कुल आस्तियों का औसत होगा ।

उक्त व्याख्याओं में प्रयोग में आनेवाले संक्षिप्तक्षर नीचे दिये गये हैं।

- पीपीई = कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान
- आईपीडी = जमाराशियों पर अदा किया गया ब्याज
- आईपीबी = भारिबै और अन्य एजेंसियों से उधार पर अदा किया गया ब्याज
- आईए = अग्रिमों और बिलों पर अर्जित ब्याज
- आईआय = निवेशों पर अर्जित ब्याज

सारणी 4.2 - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल बकाया जमाराशियां इस सारणी में क्रमशः वर्ष 2009 और 2010 के लिये शाखाओं के नमूनों पर आधारित है।

सारणियां 9.1 और बी2 - इन सारणियों का डाटा ,बैंकों द्वारा उनके वार्षिक लेखा में प्रकाशित लाभ और हानि के विविध अनुसूचियों से प्राप्त किया है। इन सारणियों में बताया गया कुल व्यय प्रावधान और आकस्मिकताएं को छोड़कर है। मद लाभ की गणना ,बैंक की कुल अर्जकता से ब्याज व्यय , परिचालन व्यय ,और प्रावधानों और आकस्मिकताओं घटाकर की गयी।

सारणी 10.1 - यह सारणी मूल सांख्यिकीय विवरणी॥ के माध्यम से संग्रहीत डाटा के आधारपर और बैंकों के सिर्फ पूर्ण दिवसीय कर्मचारियों को शामिल कर के है।

सारणी 11.4 - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं और 2 लाख रु से अधिक के ऋण सीमा से अधिक के खातों से प्राप्त बीएसएर i और बीएसएर ii पर आधारित डाटा इस सारणी में है। खरीदे गये और भुनाये गये अंतर्देशीय और विदेशी बिलों को छोड़कर यह ऋण है।

बकाया राशि का उपयोग औसत उधार दरों की गणना के लिये महत्वपूर्ण माना जाएगा । जमा दर का पत्राचार केवल मीयादी जमा राशियों के लिये होगा । मीयादी जमा राशियों के लिये क्रमशः 2010 के लिये कुल 82620 में से रिपोर्टिंग शाखाओं पर और 2011 के लिये कुल 84825 शाखाओं से 77710 पर आधारित औसत जमा पर डाटा

सारणियां बी1 से बी12 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर वैयक्तिक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर वर्तमान डाटा

सारणी बी16 - डाटा से संबंधित भारत के जमा खाते जो अधिकतर 31 दिसंबर 2011 तक अथवा 10 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाये गये और बैंकिंग नियम अधिनियम ,1949की धार 26 के अंतर्गत फॉर्म 9 में बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणियों पर आधारित है।

III सामान्य टिप्पणियां

1. सारणियों का कुल आंकड़े कुछ आवश्यक मदों क्र आंकड़ों के पूर्णांकित करने के कारण पूरी तरह से मेल नहीं खाते।
2. कोष्ठकों में दिये गये गये आंकड़े, अन्यथा स्पष्ट किये गये , कुल का प्रतिशत दर्शाये ।
3. यूनिट मिलियन 1,000,000 के बराबर और यूनिट बिलियन 1,000,000,000. के बराबर है।
4. चिन्ह “—” कुछ नहीं और नगण्य दर्शाता और “..” उपलब्ध नहीं अथवा लागू नहीं दर्शाता है।
5. प्रत्येक सारणी के अंत में उससे संबंधित स्रोत और टिप्पणियां दी गई है ।
7. पूर्व वर्ष के कुछ आंकड़ें संशोधित किये गये।
8. 2010 - 2011 सारणी 4.2 अर्थात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ जमा राशियों के स्वामित्व के लिये आंकड़ें
9. यह प्रकाशन इंटरनेट के माध्यम से आरबीआइ वेबसाइट <http://dbie.rbi.org.in> पर भी उपलब्ध है।